

पर्मोद कोहली से पहले, रितु बहरी, जे. जे. अजय

कुमार कुकरेजा-याचिकाकर्ता बनाम

केंद्रीय मंत्रालयी न्यायाधिकरण, चंडीगढ़
& एक और,-2011 के उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी No.17009

12 अक्टूबर, 2011

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-याचिकाकर्ता ने पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए रेलवे विभाग द्वारा आयोजित परिशिष्ट III (आई. आर. ई. एम.) 2006 के रूप में जानी जाने वाली विभागीय परीक्षा दी-याचिकाकर्ता परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर सका-इसलिए अपनी उत्तर पुस्तिकाओं और प्रमुख (मॉडल) उत्तरों के निरीक्षण और आपूर्ति के लिए अधिनियम के तहत आवेदन किया-याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रतियां प्राप्त करने के बाद, योग्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति के लिए आगे आवेदन किया और साथ ही अपने पत्रों की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया।

- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए दायर आवेदन-अस्वीकृत-रिट दायर-स्वीकार किया गया कि ऐसा कोई नियम या विनियमन नहीं है जो पुनः जांच की अनुमति देता है-रिट खारिज-न्यायाधिकरण के आदेश को बनाए रखता है।

मान लीजिए, ऐसा कोई नियम या विनियमन नहीं है जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देता हो। याचिकाकर्ता अपने मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे गए अपवादों के भीतर नहीं ला सका है जैसे कि कुछ उत्तर अचिह्नित रहने या मूल्यांकन किसी भी मानदंड के विपरीत किया गया है या जहां उत्तर कुंजी में गलत उत्तर आदि पाए गए हैं।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारी यह सुविचारित राय है कि वैधानिक मंजूरी के बिना पुनर्मूल्यांकन जनहित के लिए प्रतिकूल है और अनुचित है जब तक कि किसी विशेष मामले में परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है।

हम न्यायाधिकरण के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं और न ही हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां न्यायालय को अपनी असाधारण अधिकारिता या पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए आवश्यक परिस्थिति का प्रयोग करना चाहिए।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जे. एन. गुप्ता।

पुनीत जिंदल, प्रतिवादीगण के वकील।

PERMOD KOHLI.J (ORAL)

(1) यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 26.4.2010 के फैसले से उत्पन्न होती है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश की मांग करने के लिए दायर ओ. ए. को खारिज कर दिया गया है। ओ. ए. को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने, हालांकि, याचिकाकर्ता को आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।

(2) वर्तमान रिट याचिका दायर करने वाले तथ्यों को फिर से शुरू करने का सारांश इसके बाद दिया गया है।

(3) वर्ष 2008 में रेलवे विभाग ने एक विभागीय परीक्षा आयोजित की जिसे परिशिष्ट III (आई. आर. ई. एम.) 2006 के रूप में जाना जाता है। यह परीक्षा अनुभाग अधिकारियों/स्टेशन खातों के निरीक्षकों/स्टोर खातों के निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य है। इस पद के लिए पात्र होने का दावा करने वाला याचिकाकर्ता अनुक्रमांक 02174 के तहत 15.4.2008 से 23.4.2008 के बीच आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुआ। याचिकाकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, जिसका परिणाम 13.11.2008 पर घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं और कुंजी (मॉडल उत्तर) के निरीक्षण और आपूर्ति के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के तहत आवेदन किया। इस आवेदन को लोक सूचना अधिकारी द्वारा 23.12.2008 पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि परीक्षा में 5,000 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। याचिकाकर्ता ने 26.12.2008 पर पहली अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। नतीजतन, केंद्रीय सूचना आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष 31.3.2009 पर एक अपील दायर की गई। इस अपील को 25.5.2009 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी जिसमें प्राधिकरण को बिंदु संख्या 6 और 7 पर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। जानकारी प्राप्त करने पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं और कुंजी की प्रतियां शामिल हैं, याचिकाकर्ता

4.9.2009 पर एक और आवेदन किया जिसमें उन उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां मांगी गई जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया था। हालाँकि, अधिकारियों ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने कागजातों की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए 17.9.2009 पर एक और अभ्यावेदन दिया। कोई जवाब नहीं मिलने पर, याचिकाकर्ता ने 9.3.2010 पर न्यायाधिकरण के समक्ष O. A. दायर किया, जिसे विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष की गई प्रार्थना को दोहराया है। न्यायाधिकरण ने माना है कि पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन को अधिकृत करने वाले किसी विशिष्ट नियम के अभाव में पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।

(5) निस्संदेह, प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में कोई नियम या विनियमन नहीं है जो पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देता है। "पुनः जांच" और "पुनर्मूल्यांकन" दो अभिव्यक्तियों के अलग-अलग अर्थ हैं। आम बोलचाल में पुनः जांच उत्तर पुस्तिका की परीक्षा तक ही सीमित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई प्रश्न अचिह्नित रह गया है और क्या प्रश्नों के लिए दिए गए अंकों को ठीक से संकलित और कुल किया गया है, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन और इसके परिणामस्वरूप परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों की आवश्यकता होती है।

(6) पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है जिसे सिरंदीप सिंह पनाग बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) के रूप में रिपोर्ट किया गया है। माननीय पूर्ण पीठ के समक्ष मुद्दा गैर-दागी अधिकारियों को दागी अधिकारियों से अलग करने का था। लोक सेवा आयोग के खिलाफ अनुचित चयन करने के आरोप थे। जांच करने और गैर-दागी अधिकारियों को दागी अधिकारियों से अलग करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेशों के तहत चयनित अधिकारियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए एक अभ्यास किया गया था। यह निर्णय इस सवाल से संबंधित नहीं है कि क्या नियमों के अभाव में पुनर्मूल्यांकन अनुमत है। याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय पुनीत मेहता बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) है। यह मामला फिर से न्यायिक सेवा से संबंधित है।

पी. एस. (न्यायिक शाखा)। इस मामले में भाग लेने वाले कुछ उम्मीदवार

(1) 2008 (3) एससीटी 766

(2) 2011 (1) एससीटी 396 (पी एंड एच)

प्रारंभिक परीक्षा में, जो बहुविकल्पीय प्रकृति की थी, चयन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि विभिन्न प्रश्नों की उत्तर कुंजी गलत थी क्योंकि या तो एक से अधिक सही उत्तर थे या उत्तर कुंजी में कोई सही उत्तर नहीं दिया गया था। इस पहलू पर विचार करते हुए इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादीगण को निर्देश दिया कि वे परीक्षा में दिए गए प्रश्नों और उसके लिए उत्तर कुंजी पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करें और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो उत्तर कुंजी को फिर से तैयार किया जाए और नई योग्यता सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवारों के कागजात की फिर से जांच की जाए।

(7) ये दोनों निर्णय हमारे सामने के प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय सचिव है। डब्ल्यू. बी. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास और अन्य (3) इस मामले में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तर पुस्तिका को अदालत में पेश करने और उच्च माध्यमिक परीक्षा के छात्र द्वारा निरीक्षण के बाद किसी अन्य परीक्षक द्वारा पुनः मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। अपील पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने स्वयं उत्तर पुस्तिका की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पुनर्मूल्यांकन की गुंजाइश है और इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ के मामलों में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक दीवानी अपील में (4) और कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता (5) ने निम्नलिखित रूप में देखा:-

“9. वैधानिक प्रावधान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है। ऐसे मामलों में से पहला मामला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ का है। उक्त मामले में यह देखा गया कि अंतिमता सार्वजनिक परीक्षा का परिणाम होना चाहिए और वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अदालत उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनः परीक्षा का निर्देश नहीं दे सकती है।

10. अदालतों को आम तौर पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को पेश करने का निर्देश नहीं देना चाहिए, जब तक कि यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है कि या तो

किसी प्रश्न के पास है।

(3) 2007 (8) एससीसी 242

(4) 1984 (4) एससीसी 27

(5) 1983 (4) एस. सी. सी. 309

मूल्यांकन नहीं किया गया है या मूल्यांकन परीक्षण निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत किया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में जांच करने वाला निकाय प्रश्नों के आदर्श उत्तर प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में परीक्षक अदालत को संतुष्ट करते हैं कि आदर्श उत्तर बोर्ड द्वारा अपनाए गए उत्तर से अलग है। केवल तभी अदालत उत्तर पुस्तिकाओं के उत्पादन के लिए कह सकती है ताकि परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति दी जा सके।”

(8) माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। एच. पी. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अनुर। (6) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न की फिर से जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न को अभिनिर्धारित किया:-

“(iii) क्या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, न्यायालय पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश दे सकता है।”

(9) इस प्रश्न का उत्तर न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ के मामले में दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने पर निम्नलिखित तरीके से दिया:-

“इस प्रकार, इस विषय पर कानून इस प्रभाव से उभरता है कि कानून या सांविधिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।”

(10) उपरोक्त निर्णयों के अनुपात से, यह माना जाता है कि पुनर्मूल्यांकन केवल तभी अनुमत है, जब किसी विशेष परीक्षा को नियंत्रित करने वाला नियम अनुमति देता है। यह भी देखा गया है कि जहां किसी भी प्रश्न या मूल्यांकन का मूल्यांकन परीक्षण निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय पुनर्मूल्यांकन का सहारा ले सकता है, हालांकि, न्यायालय वैधानिक अधिकारियों का कार्य अपने ऊपर नहीं ले सकता है। उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए, यह ध्यान दिया जाता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता के आरोप हैं कि आवेदक के असाधारण प्रदर्शन के बावजूद, वह जानबूझकर विफल रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें एन. ओ. एस. प्रश्न के संबंध में कम अंक दिए गए हैं। 2 (ए), 3, 4 (ए, बी, सी और डी), 7 (ए, बी, सी और घ) 8 (अ और अ)बी। कुछ अन्य प्रश्नों के संबंध में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।

(11) टि्रब्यूनल ने 2004 (5) एस. एल. आर. 457 के रूप में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए ओ. ए. को खारिज कर दिया। टि्रब्यूनल ने प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और अन्य (7) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया, जिन्हें यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“9. अन्यथा भी, जिस तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश ने सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया था, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तर पुस्तिका न्यायालय द्वारा सीधे पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव या विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को नहीं भेजी गई थी। उत्तर पुस्तिका की एक फोटोकॉपी पटना विश्वविद्यालय के स्थायी वकील को सौंपी गई, जिन्होंने कुछ समय बाद इसे अदालत को लौटा दिया और इस आशय का एक बयान दिया गया कि पटना विज्ञान महाविद्यालय के दो शिक्षकों द्वारा इसकी जांच की गई थी। अदालत में शिक्षकों के नामों का खुलासा भी नहीं किया गया था। विचाराधीन परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें उम्मीदवार की तुलनात्मक योग्यता का आकलन किया जाता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में एक समान मानक लागू किया जाए। यह आयोग का विशिष्ट मामला है कि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की एक केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें विभिन्न परीक्षक अन्य परीक्षकों की सहायता से मुख्य परीक्षक द्वारा तैयार किए गए मॉडल उत्तरों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत पत्र पेटेंट अपील में यह अनुरोध किया गया था और इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पटना विज्ञान महाविद्यालय के दो शिक्षकों को आदर्श उत्तर प्रदान नहीं किया गया था। विभिन्न परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने में मानकों में भिन्नता हो सकती है। जिस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था, उसमें दिए गए अंकों को पवित्र नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस आयोग को सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी के अंकों को 63 मानने के लिए जारी किए गए निर्देश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।”

(12) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पक्षकारों द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर ओ. ए. का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

(13) मान लीजिए, ऐसा कोई नियम या विनियमन नहीं है जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देता हो। याचिकाकर्ता अपने मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे गए अपवादों के भीतर नहीं ला सका है जैसे कि कुछ उत्तर अचिह्नित रहने या मूल्यांकन किसी भी मानदंड के विपरीत किया गया है या जहां उत्तर कुंजी में गलत उत्तर आदि पाए गए हैं। याचिकाकर्ता का पूरा मामला यह है कि उसे परीक्षक द्वारा कम अंक दिए गए हैं। यह उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के मामलों में यह माना गया है कि परीक्षा को अंतिम रूप दिया जाना है। अदालत के पास अंकों के पुरस्कार का आकलन करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है क्योंकि यह विशेषज्ञों का काम है। यदि किसी नियम या विनियम द्वारा अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय जांच करने का काम सौंपे गए वैधानिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्य को अपने कंधों पर नहीं ले सकता है। किसी उम्मीदवार की केवल यह इच्छा या आरोप कि अधिकारियों या परीक्षक के खिलाफ दुर्भावना के किसी विशेष आरोप के बिना उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, उम्मीदवार की केवल एक टिपण्णी पर पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना कानून में अस्वीकार्य है। प्रत्येक असफल उम्मीदवार बार-बार पुनर्मूल्यांकन करना चाहेगा।

(14) हमारा मानना है कि वैधानिक मंजूरी के बिना पुनर्मूल्यांकन जनहित के लिए प्रतिकूल है और अनुचित है जब तक कि किसी विशेष मामले में परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। हम न्यायाधिकरण के निर्णय में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं और न ही हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां न्यायालय को अपनी असाधारण अधिकारिता या पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए आवश्यक परिस्थिति का प्रयोग करना चाहिए।

(15) इस प्रकार यह याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। हालांकि, निर्णय से अलग होने से पहले, हम यह कहना चाह सकते हैं कि न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को अधिकारियों को फिर से जांच करने के उद्देश्य से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच के लिए ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई प्रश्न अचिह्नित रह गया है या विभिन्न प्रश्नों के लिए दिए गए कुल अंक गलत हैं, तो अधिकारी इन उद्देश्यों के लिए पुनः जांच करेंगे और अंकों में भिन्नता की स्थिति में, याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

एस. संधू

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।